**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 10 / 2024 (राजसमन्द आर्डर)**

केसरसिंह पिता पन्ना जी, जाति उठड राजपूत, निवासी उठडो की भागल, कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. केशा उर्फ केसरसिंह पिता उदेराम उर्फ उदयसिंह, जाति उठड राजपूत, निवासी उठडो की भागल, कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
2. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी सुरतराम उर्फ सुरतसिंह जी, जाति उठड राजपूत, निवासी उठडो की भागल, कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़
दिनांक 14.02.2023 प्र. सं. 16/2023

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक अपीलान्ट

———::———

**निर्णय** **दिनांक 21–08–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव उठडो की भागल में आराजी नंबर 1840, 1841, 1842 कुल किता 3 रकबा 0.0378 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें पक्षकारान का हिस्सा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर पक्षकारान के संयुक्त आधिपत्य में चली आ रही है, किन्तु विपक्षीगण जबरन शक्ति के बल पर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं एवं लडाई–झगड़ा करने पर आमादा रहते हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14–02–2023 को प्रकरण अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट / विपक्षी संख्या 2 द्वारा यह अपील दिनांक 27–03–2024 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई लेकिन उनकी ओर से वक्त बहस कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता मुकेश देवपुरा उपस्थित हुए। दिनांक 12–08–2024 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested

लोकेश मेनारिया ने उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट द्वारा सहमति से प्राप्त भूमि पर पूर्व निर्मित मकान की रिपेयरिंग कर निर्माण किया जा रहा है, जिससे उसे रोका जाना कानूनन विधि सम्मत नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के हिस्से की भूमि में जबरन कब्जा किये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें अन्तरिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है, जो विधि सम्मत है। अपीलान्ट उक्त आदेश को इस अपील के माध्यम् से चुनौती नहीं दे सकता है। अपीलान्ट द्वारा अपील करीब डेढ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश की प्रति दिनांक 14–06–2023 को प्राप्त करना बताया है, जबकि अपील उसके 9 माह बाद प्रस्तुत की है, जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर होने से इसी बिन्दु पर खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट स्वयं ने धारा 5 मियाद अधिनिमय के प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में इस तथ्य को अंकित किया है कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14–02–2023 की नकल दिनांक 14–06–2023 को प्राप्त हो गयी थी, जबकि उनके द्वारा न्यायालय हाजा में अपील 27–03–2024 को अर्थात नकल प्राप्ति के 9 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14–02–2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(प्रदीपसिंह सांगावत)**
**भ–प्रबन्ध अधिकारी**
**पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:21 IST
Reason: SelfAttested